क्या ट्रैफ़िक चैकिंग को प्रभावी एवं जनहितकारी नहीं बनाया जा सकता ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) पुलिस की दर्जनों टीमें आजकल विभिन्न सड़कों पर ट्रैफ़िक चेक करती नज़र आ रही हैं। रोज़ाना सैंकड़ों-हज़ारों चालान भी काटे जा रहे हैं। सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी का एहसास भी बढने लगा है। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया क्या इससे आम जन को सड़क यातायात में कोई विशेष राहत मिल पा रही है या पुलिस को अपराध नियन्त्रण में? चैकिंग के नाम पर जगह-जगह लगने वाले नाकों से जाम की स्थिति जरूर अक्सर बनी रहती है।

पुलिस के जिम्मे ट्रैफ़िक संचालन एक महत्वपूर्ण काम है। बाहर से आने वाला अथवा शहर से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि थानों-चौकियों में पुलिस क्या कर रही है, जनता को कैसी राहत दे पा रही है। सड़कों पर ट्रैफ़िक की व्यवस्था को देख कर ही कोई व्यक्ति पुलिस के बारे में अपनी पहली राय बनाता है।

विदित है कि सड़कों पर जाम का सबसे बड़ा कारण है चलने के लिये बनी सड़कों पर वाहनों का खड़ा कर देना। ओल्ड रेलवे स्टेशन के एनआईटी की ओर खुलने वाले रास्ते पर तो सड़क पर एक ओर स्थाई पार्किंग बनी है तो दूसरी ओर दूकानदारों ने अपना फ़ैलाव कर रखा है, जिससे सड़क संकरी होने से जाम लगा रहता है। लगभग यही स्थिति तिकोना पार्क के आसपास खड़ी कारों तथा बाटा हार्डवेयर सड़क पर बड़े-बड़े ट्रकों व ट्रालों ने बना रखी है। शहर का शायद ही कोई चौराहा ऐसा हो जहां सड़क पर खड़े वाहनों ने जाम की स्थिति न बना रखी हो। यहां तक एक कि बगल में दोहरी पार्किंग भी धड़ल्ले से होती है।

अजरोंदा मोड़ पर डीसीपी ट्रैफ़िक कार्यालय के ठीक सामने, नीलम चौक की ओर से आने वाले वाहनों का जाम लगाये रखने में दशकों से एक अवैध नर्सरी का पूरा योगदान रहता है। अक्सर वहां गाड़ी खड़ी करके लोग पौधे एवं गमले खरीदते हैं। उन्हें तो इस बात की कोई परवाह है ही नहीं कि उनके पीछे वाहनों की कितनी लम्बी लाइन लग गयी है, परवाह वहां तैनात पुलिस को भी नहीं। इसी तरह पुल पर (नीलम चौक की ओर) चढने वाले आटो डीसीपी दफ़्तर के सामने सवारियां उतारने व चढाने के लिये जाम का कारण बनते हैं। एनआईटी तीन नम्बर से गुड़गांव के रास्ते में पड़ने वाले मस्जिद चौक करीब पांच-छह वर्ष पूर्व लाल बत्तियां लगाई गई थीं परन्तु अब ट्रैफ़िक कई गुणा बढ़ जाने के बावजूद बत्तियां काम नहीं कर रही है। इसके चलते वहां सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है।

वाहनों के दस्तावेज चैक करने अथवा चोरी के वाहनों या अपराध में लिप्त वाहनों को जाम-रहित चैकिंग में पकड़ने का सबसे बेहतर तरीका पार्किंग स्थलों में खड़ी गाड़ियों को चैक करना हो सकता है। इसके लिये मुस्तैद पुलिस, ज्यों ही कोई वाहन चालक गाड़ी खोले, उससे पूछताछ कर सकती है, शक होने पर रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी से तसदीक भी की जा सकती है।

नाबालिग वाहन-चालक अक्सर स्कूली बच्चे होते हैं जिन्हें पकड़ना व रोकना बहुत जरूरी है। यह काम स्कूलों के बाहर बहुत आसानी से किया जा सकता है। वहां उनके अभिभावक भी बुलाये जा सकते हैं।

सवाल है क्या पुलिस अपना ढर्रा बदल पायेगी ?

महिला दिवस पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का ढकोसला

फ़रीदाबाद (म.मो.) 20 जनवरी 2015 को पानीपत शहर से भाजपा सरकार ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ' का पाखंड पाठ करना शुरू किया था जो आज भी पाखंड पाठ से आगे नहीं बढ पाया।

उस वक्त नये-नये मुख्यमंत्री बने खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को इस काम के लिये पानीपत में आमन्त्रित किया था। बताने की जरूरत नहीं कि इस तरह के पाखंड करने के लिये जो सरकारी मजमे लगाये जाते हैं उन पर जनता के पैसे का भारी दुरूपयोग होता है। ज़िले की सारी सरकारी मशीनरी सब काम-काज छोड़ कर कई दिन पहले से मजमे की तैयारी में जुट जाती है और जिस दिन मजमा जमाने प्रधान मदारी वहां पहुंचता है तो उसकी सुरक्षा के नाम पर न केवल राज्य भर की बल्कि केन्द्र से भी विशेष सुरक्षा बल बुलाये जाते हैं।

इस मजमे के बाद आज तक न बेटी बचाने के लिये रत्ती भर काम हुआ कहीं नज़र आता है। इस दौरान लड़कियों के स्कूलों की हालत तो और भी खराब होती चली गयी। बेटी पढाओ का ढोल पीटने वाली सरकार के राज में बेटियों का घर तक आना-जाना दूभर हो गया। पहले भिवानी ज़िले के एक ग्रामीण स्कूल की लड़कियों ने पड़ोसी गांव के स्कूल में जाना इस लिये छोड़ दिया कि रास्ते में मनचले उन्हें तंग करते करते थे, सरकार की पुलिस कुछ सुनने व करने को तैयार नहीं थी। सैंकड़ों लड़कियों द्वारा सामूहिक रूप से स्कूल का बहिष्कार किये जाने से जब मीडिया में उछला तो सरकार की आंख खुली और मामले को दबाने के लिये लीपा-पोती कर दी गयी।

इसी तरह रिवाड़ी ज़िले के गांव में भी शोहदों द्वारा आये दिन की छेड़-छाड़ से तंग आई लड़कियों ने दूसरे गांव के स्कूल जाना बंद करके अपने ही गांव के स्कूल पर धरना देकर सरकार से मांग की कि उनके स्कूल को ही 12 वीं तक किया जाय। बालिकाओं द्वारा महीने भर से ज़्यादा धरने पर बैठने के बाद जब मीडिया में सरकार की मिट्टी पलीज होने लगी तो बच्चियों को झूठा आश्वासन, वह भी लिखित में, देकर धरना समाप्त कराया। उस स्कूल में आज तक भी स्कूल के बढे स्तर के अनुसार न तो कोई स्टाफ़ है और न ही कोई सुविधा।

यूं तो शौचालय सभी स्कूलों में जरूरी है परन्तु लड़कियों के स्कूलों में निहायत ही जरूरी होता है। ग्रामीण स्कूलों में तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। शहरी स्कूलों में जो है भी तो उनकी हालत इतनी खराब है कि वे इस्तेमाल के लायक नहीं।

कुल मिलाकर नौटंकीबाजों की सरकार ने करना-धरना तो कुछ है नहीं बस मजमेबाज़ी ही करनी है। ऐसा ही एक मजमा 8 मार्च को राजस्थान के झुंझनू में लगाया गया। इन मजमों और इनकी विज्ञापनबाज़ी पर होने वाले बेतहाशा खर्च को ही यदि महिला कल्याण पर लगा दिया जाय तो उनका कुछ तो भला हो ही जायेगा।

तस्कर ही नहीं टैक्स चोर भी है रामदेव

गिरीश मालवीय

आखिरकार बाबा रामदेव आज तक न्यूज़ चैनल के पुण्य प्रसून वाजपेयी के किस सवाल पर हत्थे से उखड़ गए ?, दरअसल वाजपेयी ने बाबा की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया था और वह रग थी टैक्स चोरी की।

बाबा रामदेव दान के नाम पर कारोबार कर रहे हैं, ये कहना था देश के आयकर विभाग का, उस वक्त आयकर विभाग योग गुरु बाबा रामदेव के ट्रस्ट का चैरिटेबल संगठन के तौरे पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी में था।

2012 में आयकर विभाग का कहना था कि योग गुरु का पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट कारोबार कर रहा है। उनकी सूचना के अनुसार बाबा रामदेव का ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट 2009-10 के दौरान कई व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल था। दरअसल आयकर छूट उसी ट्रस्ट को मिलती है जो अपनी आय का 85 फीसदी हिस्सा चैरिटेबल कामों पर खर्च करता है।

लेकिन इसी वक्त बाबा ने काले धन को लेकर एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जिसमे वह बीजेपी के सहयोग से पूरी तरह से कामयाब भी रहे और बाद बीजेपी सरकार आने पर उनके खिलाफ सारी जांच बन्द कर दी गई।

वर्ष 2004-05 में बाबा रामदेव के ट्रस्ट दिव्य फार्मेसी ने 6,73,000 रुपये की दवाओं की बिक्री दिखाकर 53,000 रुपये सेल्स टैक्स के तौर पर चुकाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से पतंजलि योग पीठ के बाहर लोगों को हुजूम लगा रहता था, उस हिसाब से आयुर्वेदिक दवाओं का यह आंकड़ा बेहद कम था। इसकी वजह से उत्तराखंड के सेल्स टैक्स ऑफिस (एसटीओ) को बाबा रामदेव के ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराए गए बिक्री के आंकड़ों पर शक हुआ।

एसटीओ ने उत्तराखंड के सभी डाकखानों से जानकारी मांगी। पोस्ट ऑफिस से मिली जानकारी ने एसटीओ के शक को पुख्ता कर दिया। तहलका में छपी रिपोर्ट में डाकखानों से मिली सूचना के हवाले से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2004-05 में दिव्य फार्मेसी ने 2509.256 किलोग्राम दवाएं 3353 पार्सल के जरिए भेजा था। इन पार्सलों के अलावा 13,13000 रुपये के वीपीपी पार्सल भी किए गए थे। इसी वित्त वर्ष में दिव्य फार्मेसी को 17,50,000 रुपये के मनी ऑर्डर मिले थे।

इसी सूचना के आधार पर एसटीओ की विशेष जांच शाखा (एसआईबी) ने दिव्य फार्मेसी में छापा मारा। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जगदीश राणा ने छापे के दौरान एसआईबी टीम का नेतृत्व किया था। रिपोर्ट में राणा के हवाले से कहा गया है, तब तक मैं भी रामदेवजी का सम्मान करता था, लेकिन वह टैक्स चोरी का सीधा-सीधा मामला था। राणा के मुताबिक उस मामले में ट्रस्ट ने करीब 5 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की थी।

उस दौरान बाबा के ट्रस्ट पर पड़े छापे से तत्कालीन गवर्नर सुदर्शन अग्रवाल बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने राज्य सरकार को छापे से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा था।

कई अधिकारियों का मानना है कि रेड के बाद राणा पर इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने चार साल पहले ही रिटायरमेंट ले ली। एसआईबी की इस कार्रवाई के बाद राज्य या केंद्र सरकार की दूसरी कोई भी एजेंसी बाबा रामदेव के साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पाई।

पर यह सब तो पुरानी बातें हैं। रामदेव ने आज मीडिया के मुँह में विज्ञापन ठूस ठूस कर उसकी बोलती बंद कर दी है। आप अगर ढूंढे भी तो 2013-14 के बाद से उसके खिलाफ चल रही जांचों की रिपोर्ट को कहीं भी पब्लिश नही किया गया और न ही बड़े अधिकारियों ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की हिम्मत दिखाई। आज भी बाबा पतंजलि की बेहिसाब कमाई ट्रस्ट के जरिए दिखाकर टैक्स में घपले कर रहा है। लेकिन पूछता कौन है, कहा भी गया है जब सैया भये कोतवाल तब डर काहे का।

योगी सरकार की फ़र्जी मुठभेड़ों में मारे जा रहे दलित और यादव

तीन दिवसीय दौरे के तहत फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम की फर्जी मुठभेड़ यानी नृशंस हत्याओं के पीड़ितों के परिजनों से मुलाक़ात हुयी।

'राम जी पर पुलिस ने फर्जी मुकदमें लाद-लादकर उसे बदमाश घोषित कर मार डाला' - दिनेश सरोज, फर्जी मुठभेड़ में मारे गए रामजी पासी के भाई का कहना है।

'जयहिंद उस दिन सुबह मुझे दवाई के लिए ले जा रहा था, सादी वर्दी वालों ने उठाकर बोलेरो में फेंक दिया, 21-21 गोली मारकर कह रहे हैं एन्काउंटर। एन्काउंटर नहीं मेरे बेटे की हत्या की गई' - शिवपूजन यादव,फर्जी मुठभेड़ में मारे गए जयहिंद यादव के पिता।

आजमगढ़ में 5 मार्च 2018, रिहाई मंच ने योगी सरकार में फर्जी मुठभेड़ में मारे गए आज़मगढ़ के जियापुर निवासी और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राम जी पासी, खिलवा निवासी जयहिंद यादव और समसुद्दीनपुर के मोहन पासी के गांव जाकर पीड़ितों के परिजनों और ग्रामवासियों से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल के तारिक़ शफीक, विनोद यादव, अवधेश यादव, अनिल यादव, लक्ष्मण प्रसाद और राजीव यादव ने कहा कि तीन दिवसीय दौरे के तहत फर्जी मुठभेड़ में मारे गए इन नृशंस हत्याओं के पीड़ितों के परिजनों से तथ्यों की जानकारी ली गयी।

प्रतिनिधिमंडल को फर्जी मुठभेड़ में मारे गए जियापुर निवासी और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रामजी पासी के भाई दिनेश सरोज ने बताया कि उनके भाई को जातीय द्वेष के कारण सवर्ण लोगों के इशारे पर मारा गया क्योंकि वह राजनीतिक तौर पर लगातार मजबूत हो रहा था। 2010 में वे 600 वोटों से क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीते थे। राम जी पर पुलिस ने फर्जी मुकदमे लाद-लादकर उसे बदमाश घोषित कर मार डाला।

खिलवा गांव के शिवपूजन यादव ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि जयहिंद उस दिन सुबह उन्हें दवाई के लिए ले जा रहा था, उनके सामने से एसओजी के लोग उसे उठाकर ले गए और पुलिस ने उसकी हत्या कर दी । उनके बेटे को पुलिस ने 21-21 गोली मारी, यह कैसा कानून है? यह तो हत्या है।

फर्जी मुठभेड़ में मारे गए मोहन पासी के गांव समसुद्दीनपुर थाना मेंहनगर के ग्रामीणों से भी मुलाकात की गई । रिहाई मंच नेताओं ने कहा की प्रथम दृष्टया यह मुठभेड़ फ़र्जी ही नहीं बल्कि नृशंस हत्या है। जल्द ही इन मुठभेड़ों पर विस्तृत रिपोर्ट लाई जाएगी।

अच्छी पुलिसिंग के साथ अच्छे व्यवहार में हर्ज नहीं सीपी साहब

फ़रीदाबाद (म.मो.) बतौर पुलिस कमिश्नर अमिताभ ढिल्लों ने इस शहर में आकर एक बेहतर पुलिसिंग देने का सराहनीय प्रयास किया है। लेकिन इसके साथ-साथ यदि वे आम नागरिकों से अच्छा व्यवहार भी करें तो सोने पर सुहागा हो सकता है।

इनके दफ़्तर में अपने दुख-दर्द रोने के लिये आने वालों की अच्छी-खासी संख्या प्रात: 10 बजे से ही जुटनी शुरू हो जाती है जिनके बैठने के लिये बने केबिन की क्षमता केवल 9 है। इसको बढाने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा मुसीबत उन लोग़ों, खासकर बुजुर्गों की होती है जिन्हें साहब बहादुर की ओर से लिखित नोटिस भेज कर प्रात: 10 बजे बुला लिया जाता है और साहब खुद साढे 12 बजे आते हैं।

यह माना जा सकता है कि साहब के लिये समय पर आना मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस सेवा तो दिन-रात चलती रहती है। ऐसे में किसी नागरिक को भी तो इस तरह समयबद्ध कर के बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। और खासकर उसको तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिये जिसको सीपी कार्यालय में कोई काम नहीं और वह आना भी न चाहता हो।

सीपी द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस सतीश कुमार को 25 फ़रवरी को दिया गया। इसमें बहुत ही गंभीर एवं अपमानजनक आरोप लगाते हुए लिखा गया, ''आपके विरुद्ध पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं व अमन चैन पसंद व्यक्ति नहीं हैं। आपके पास शस्त्र लाइसेंस का होना जनहित में उचित नहीं होगा।'' मजे की बात तो यह है कि उसी नोटिस में उपरोक्त अभियोगों जिसके अनुसार 2 अभियोग तो खुद पुलिस ने ही खारिज कर रखे हैं, 4 विभिन्न अदालतों ने खारिज कर रखे हैं और एक विचाराधीन है। और तो और इनमें से किसी भी मुकदमें में शस्त्र के इस्तेमाल का कोई ज़िक्र नहीं है।

नोटिस का तुरंत जवाब पहले ई मेल से और 5 मार्च को लिखित सीपी कार्यालय भेज दिया गया। इसमें कहा गया, ''**विनम्र निवेदन है कि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे लगे कि मैं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हूं और अमन-चैन पसंद नहीं करता। हां कुछ आपराधिक प्रवृति के पुलिस अफ़सरों ने मुझ पर ऐसे आरोप जरूर लगाये थे जिन्हें खुद अच्छे पुलिस अफ़सरों व अदालतों ने खारिज कर दिया। इसका सबूत आपके दिये हुए नोटिस में ही मौजूद है।**

"रही बात शस्त्र लाइसेंस के नवीकरण अथवा निरस्त करने की तो मुझे इसके निरस्त किये जाने पर भी कोई एतराज नहीं। यदि मेरे इस लाइसेंस के निरस्त होने से शहर में एक आपराधिक व्यक्ति पर अंकुश लगता हो तथा शहर में अमन चैन बढता हो तो मुझे इस लाइसेंस को रद्द कराने में खुशी होगी। इतना ही नहीं, यदि मेरा शस्त्र पुलिस विभाग के कुछ काम आ सके तो मुझे उसे पुलिस को देकर और भी अधिक खुशी होगी।"

इतना स्पष्ट जवाब लिखने के बावजूद सतीश कुमार को पुन: एक सिपाही के हाथ नोटिस भेज कर 9 मार्च को प्रात: 10 बजे सीपी ऑफ़िस में आने का फ़र्मान भेजा गया। फ़र्मान आया तो जाना पड़ा। वहां केबिन में पहले से ही 9 जने बैठे थे जिनमें से 6 वयोवृद्ध थे। हद तो तब पार हो गयी जब सीपी साहब के आने पर सभी 10-12 लोग़ों को उनके दरवाजे के सामने पंक्तिबद्ध ऐसे खड़ा कर दिया गया जैसे कि अपराधी हों। सभी के मोबाइल फ़ोन व पैन रखवा लिये गये। पहले कुछ वीआईपी लोग साहब से मिलने अन्दर गये। उनके पश्चात, करीब 45 मिनट बाद पंक्ति में खड़े लोग़ों को एक-एक करके साहब के सामने पेश करना शुरू किया गया।

अंदर सतीश कुमार को सीपी ने एक वाक्य में फ़ैसला सुनाया कि लाइसेंस रद्द, क्योंकि एक मामला विचाराधीन है। बुलाने, प्रतीक्षा कराने, समय बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? जवाब में सब जाहिर था। सीपी के मुताबिक यह प्रक्रिया है। यानी सीपी हैं प्रक्रिया के गुलाम।